अनुबंध 2 - अवयस्क के मामले में भरा जाए

ग्राहक आईडी: सीकेवाईसी नं.

खाता सं. नाम*:

अभिभावक का नाम

☐ संबंधित व्यक्ति को जोड़ना ☐ संबंधित व्यक्ति को हटाना

अवयस्क के साथ संबंध_____

अभिभावक /समनुदेशिती /अधिकृत प्रतिनिधि की ग्राहक आईडी

(यदि अभिभावक के पास बैंक में मौजूदा ग्राहक आईडी नहीं है, तो अभिभावक के सीआईएफ भाग -1 फॉर्म को निरपवाद रूप से प्राप्त किया जाए)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि अवयस्क, जो मेरा ..... है, उसकी जन्म तिथि है और मैं उसका/उसकी नैसर्गिक और क़ानूनी अभिभावक/अदालत के आदेश दिनांक ..... द्वारा नियुक्त किया गया अभिभावक हूं। (प्रतिलिपि संलग्न) जब तक उक्त अवयस्क, वयस्क नहीं हो जाता, मैं उपरोक्त खाते में किसी भी प्रकार के सभी भावी लेनदेन में उक्त अवयस्क का प्रतिनिधित्व करूंगा। मेरे द्वारा अवयस्क के खाते से की गई किसी भी निकासी/लेनदेन के लिए उपरोक्त अवयस्क के दावे के एवज मैं बैंक को क्षतिपूर्ति करूंगा / गी।

संबंधित व्यक्ति का प्रकार* ☐ अवयस्क का अभिभावक ☐ समनुदेशिती ☐ अधिकृत प्रतिनिधि

अभिभावक के हस्ताक्षर

Annexure II – To be Filled in Case of Minor

Customer ID: CKYC: No.:

Account No. Name*:

Name of Guardian

☐ Addition of Related Person ☐ Deletion of Related Person

Relationship with Minor _____

Cust ID of Guardian/Assignee/ Authorized Representative

(CIF part-I Form of Guardian is to be obtained invariably if guardian does not have existing Cust ID in Bank)

I hereby declare that date of birth of the minor who is my …… is and I am his/her natural and lawful guardian/guardian appointed by court order dated …….. (copy enclosed) I shall represent the said minor in all future transactions of any description in the above account until the said minor attains majority. I will indemnify the bank against any claim of the above minor for any withdrawal/transactions made by me in the account).

Related Person type* ☐ Guardian of Minor ☐ Assignee ☐ Authorized Representative

Signature of Guardian